न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 59 / 2019

उनवान

सुमित्रा देवी वगै0 बनाम बजंरगलाल वगै0

1. सुमित्रा उम्र 58 साल पत्नी स्व. रामनिवास उर्फ निवास जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. बबीता उम्र 38 साल पुत्री स्व. रामनिवास उर्फ निवास जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. अमीता उम्र 36 साल पुत्री स्व. रामनिवास उर्फ निवास जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. संदीप उम्र 29 साल पुत्र स्व. रामनिवास उर्फ निवास जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. मुक्ता उम्र 25 साल पुत्र स्व. रामनिवास उर्फ निवास जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

––वादीगण

बनाम

1. बजरंगलाल उम्र 77 साल पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. राधेश्याम उम्र 58 साल पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. शिशराम उम्र 55 साल पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. महेन्द्र उम्र 52 साल पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. रामजीलाल उम्र 75 साल पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6. रामनारायण उम्र 71 साल पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7. श्रीराम उम्र 75 साल पुत्र स्व. माईधन जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

8. महावीर उम्र 72 साल पुत्र स्व. माईधन जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

9. शिवनारायण उम्र 70 साल पुत्र स्व. माईधन जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

10. जगदीश उम्र 68 साल पुत्र स्व. माईधन जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

11. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।

——प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. **श्री रोताश कुमार कलहरी :– वादीगण की ओर से।**
2. **श्री विजय सिंह चौधरी :– प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से।**

दावा – बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

विवेचन **दिनांकः** 04.05.2022

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद वादीगण दिनांक 23.02.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम समसपुर तहत तहसील झुन्झुनू की कृषि भूमि खसरा नम्बर 475, 483, 487, 488 कुल किता 4 कुल रकबा 6.600 है0 बाबत तहसीलदार झुन्झुनू को 500 रूपये मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज हक हिस्से तक मौके पर उनकी मौजूदगी में माननीय राजस्व मंडल अजमेर से प्राप्त परिपत्र के अनुसार पक्षकारों के पहुंच मार्ग को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एंड बाउंडस विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव 7 दिवस में न्यायालय में पेश करें। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/2312 दिनांक 06.09.2021 को विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किया गया था। विभाजन प्रस्ताव शामिल मिशल किया जाकर विभाजन प्रस्ताव पर एतराज बाबत प्रतिवादी को सुना गया था। प्रतिवादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज करने पर एतराज के बिंदुओ की जांच हेतु न्यायालय के आदेश क्रमांक राजस्व/2021/234 दिनांक 07.04.2022 द्वारा चाही गई। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक राजस्व/2022/336 दिनांक 07.04.2022 रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल मिशल किया जाकर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2021 व जांच एतराज विभाजन प्रस्ताव का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। जांच रिपोर्ट एतराज विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन प्रस्ताव 03.08.2021 को तैयार किया गया था उस समय

10

किसी प्रकार का निर्माण कार्य मौजूद नहीं था और ना ही ट्यूबवैल पर विधुत कनेक्शन किया गया था, जानबूझकर विभाजन प्रस्ताव तैयार होने के बाद ताबूक का टिनशैड बनाया गया है, ताकि अड़चन पैदा की जा सके, मौका निरीक्षण भू0अ0निरीक्षक बगड एवं तहसीलदार द्वारा किये जाने के उपरान्त मौका रिपोर्ट पेश की गई थी। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार होना जाहिर है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

निर्णय

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

झुन्झुनू (राज.)

11

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 59/2019

उनवान

सुमित्रा देवी वगै0 बनाम बजरंगलाल वगै0

दावा बाबत :– दावा – बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांकः– 04.05.2022

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रोताश कुमार कुलहरी, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय सिंह चौधरी उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	46
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर	500	बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	
योग	548		46

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)